श्रीगंगानगर (राजस्थान) 7

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 78/14

शिवनारायण उर्फ श्योनारायण पुत्र श्री मामराज जाति मेघवाल निवासी गॉव जोधेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार, चूनावढ जिला श्री गंगानगर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इंतकाल सं0 110/06.12.89 नायब तहसीलदार, चूनावढ

उपस्थित : श्री विक्रम बिश्नोई, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

आदेश दिनांकः 12-5-2016

प्रस्तुत अपील लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। हस्तगत अपील भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की गई है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के परिवार को पुनर्वास विभाग द्वारा वाके चक 28 जी जी के मु0 नं0 34 कि0 नं0 3 से 8, 13/1, 14 से 17, 24 से 25 कुल 12.10 बीघा नहरी रकबा का आवंटन किया गया था और उक्त भूमि अपीलांट के पिता के नाम सेगैरखातेदारी दर्ज चली आ रही थी। अपीलांट का सही नाम शिवनारायण उर्फ श्योनारायण है। राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट में यही नाम दर्ज है। अपीलांट, उसके पिता मामराज व माता पाना केनाम से दिनांक 30.7.89 को सनद सं0 3522 द्वारा मु0 नं0 34 की कुल 12.10 बीघा भूमि की खातेदारी सनद जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सनद के आधार पर दिनांक 6–12–89 को अपीलाधीन इंतकाल दर्ज किया था, जिसमें भूलवश शिवनारायण उर्फ श्योनारायण की जगह श्योकरण दर्ज कर दिया गया। अपीलाधीन इंतकाल के आधार पर ही जमाबंदी बना दी गई। अपीलाधीन भूमि आवंटन के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल सं0 110 निरस्त करके श्योकरण के स्थान पर शिनारायण उर्फ श्योनारायण लिखकर दुबारा इंतकाल का आदेश फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन इंतकाल से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा है कि अपीलांट के परिवार को पुनर्वास विभाग द्वारा वाके चक 28 जी जी के मु0 नं0 34 कि0 नं0 3 से 8, 13/1, 14 से 17, 24 से 25 कुल 12.10 बीघा नहरी रकबा का आवंटन किया गया था और उक्त भूमि अपीलांट के पिता के नाम से गैरखातेदारी दर्ज चली आ रही थी। अपीलांट का सही नाम शिवनारायण उर्फ श्योनारायण है। राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट में यही नाम दर्ज है। अपीलांट, उसके पिता मामराज व माता पाना के नाम से दिनांक 30.7.89 को सनद सं0 3522 द्वारा मु0 नं0 34 की कुल 12.10 बीघा भूमि की खातेदारी सनद जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सनद के आधार पर दिनांक 6–12–89 को अपीलाधीन इंतकाल दर्ज किया था, जिसमें भूलवश शिवनारायण उर्फ श्योनारायण की जगह श्योकरण दर्ज कर दिया गया। अपीलाधीन इंतकाल के आधार पर ही जमाबंदी बना दी गई। अपीलाधीन भूमि आवंटन के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल सं0 110 निरस्त करके श्योकरण के स्थान पर शिनारायण उर्फ श्योनारायण लिखकर दुबारा इंतकाल का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि सनद सं0 3522 में मामराज स्वंय, पानो पत्नी एवं श्योनारायण लड़का का नाम दर्ज है जबकि अपीलाधीन इंतकाल के कालम सं0 9 में श्योकरण अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करने में विधिक भूल की गई है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 110 सनद सं0 3522 दिनांक 3.7.89 के आधार पर खोला जाकर दिनांक 6–12–89 को स्वीकृत किया गया है। सनद सं0 3522 में मामराज स्वंय, पानो पत्नी एवं श्योनारायण लड़का के नाम दर्ज हैं जबकि अपीलाधीन इंतकाल के कालम सं0 9 में श्योकरण नाम अंकित किया गया है। पटवारी की रिपोर्ट में भी श्योनारायण नाम दर्ज है तथा पटवारी ने शुद्वि किया जाना उचित माना है। उप तहसीलदार, चूनावढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31–7–14 में सनद के अलावा आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड में शिवनारायण अंकित होने का कथन किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 110 दिनांक 6–12–89 को श्योकरण नाम की सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि सनद सं0 3522

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

3

दिनांक 3–7–89 के अनुसार नाम अंकित कर इंतकाल दर्ज किया जावे। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 12–5–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

12/5/16

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)